न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद /2023(2023/)

1. महावीर पुत्र गंगाराम जाति कंजर निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

—— अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू. राज. अधिनियम

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री मुरलीधर शर्मा
पैरोकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांकः—10.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प जूनियां में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की निम्न आराजीयात वाके ग्राम नायकी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है।

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
509—442	1555/854	0.80	नहरी 1
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.80 है	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजी है जो कि आस पडोसियों द्वारा सीमा को लेकर आये दिन वाद विवाद करते रहते है। जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी की आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जाने पर पडोसी खातेदारों से सीमांकर को लेकर किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिए प्रार्थी अपनी कृषि अराजी पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा आज केम्प के दौरान जवाब टिप्पणी अंकित की गई जिसमे बताया गया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम नायकी तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 509—442 के खसरा संख्या 1555/854 रकबा 0.80 हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश आज मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प जूनियां में मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)